(02)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– चाँद मल शर्मा (आर.ए.एस.)

अपील प्रकरण संख्या: 120/2017

सुरेन्द्र पुत्र रणवीर जाति जाट निवासी 96 हैड तहसील सूरतगढ़

बनाम

तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़

अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित–

1. अधिवक्ता अपीलांट श्री शिशपाल शर्मा
2. राज पैरोकार

दिनांक: 16.02.2018

निर्णय

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि चक 1 एम.पी.डी के पत्थर नं. 70/324 के किला नं. 3 मा 8, 14 मा 16 व 23, 24 का 3.162 है0 रकबा का नाजायज काश्त का नोटिस मिला इस नोटिस के जवाब में अपीलांट ने निवेदन किया कि यह रकबा अपीलान्ट के पुराना कब्जा काश्त में चला रहा है इस रकबा की सक्षम न्यायालय से पुख्ता आवंटन की पत्रावली अपीलांट की जैरकार है। परन्तु अदालत मातहत सहसीलदार सूरतगढ़ ने जैर अपील आदेश पारित कर अपीलांट की उकत रकबा की फसल कुर्क करने, कुर्कशुदा फसल निलामी करने व पटवारी हल्का को पैनल्टी राशि वसूल करने व अपीलांट को बेदखल करने कब्जा बहक सरकार लेने का निर्णय दिया है, इस निर्णय में अपीलांट को चार सजाये एक साथ दे दी है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। प्रार्थी एवं उसके पूर्वजों का इस रकबा पर पिछले 50–55 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है व अपीलांट के पूर्वजों के फौत हो जाने के पश्चात इस रकबा पर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है।

अपील संख्या 120/2017 पर दर्ज किया गया। रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री शिशपाल शर्मा हाजिर आये व पैरोकार राज उपस्थित हुए। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी एवं उसके पूर्वजों का इस रकबा पर पिछले 50–55 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है व अपीलांट के पूर्वजों के फौत हो जाने के पश्चात इस रकबा पर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। सक्षम न्यायालय में पुख्ता आवटन की पत्रावली जैरकार है। अपीलांट उक्त रकबा आवंटन का पूरा पात्र है। उक्त रकबा नियमन/आवटन पश्चात किश्ते/नियमन राशि डीएलसी दरों पर जमा करवाने को तैयार है। रकबा मौका पर अराजीराज है तथा मौका पर रकबा एस्केप के नाम दर्ज है व शुदह अराजीराज नहीं है।

बहस के दौरान राज पैरोकार ने निवेदन किया कि अपीलांट ने दिनांक 08.03.2016 को प्रार्थना पत्र पेश कर स्वीकार किया है कि उसने नाजायज काश्त की है तथा आईन्दा नाजायज काश्त नहीं करेगा। अतः प्रार्थी के विरुद्ध की गई नाजायज काश्त की कार्यवाही में उचित तावान से दण्डित कर पत्रावली दाखिल दफ्तार करने का श्रम करे। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र से यह साफ पता चलता है कि प्रार्थी के यह ध्यान में था कि उक्त भूमि राजकीय भूमि है परन्तु फिर भी अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि नाजायज काश्त की गई जो अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। प्रार्थी द्वारा स्वयं उक्त प्रार्थना पत्र में उचित तावान से दण्डित करने हेतु निवेदन किया है। अपीलांट द्वारा यह अपील कब्जा से बेदखल कर कब्जा बहक सरकार लेने व फसल कुर्क कर निलामी के आदेश देने के विरुद्ध पेश की है। इस संबंध में निवेदन है कि जैर अपील निर्णय में दिये गये दण्ड नियमानुसार ही है। फसल कुर्क कर निलामी करने से राजकोष को फायदा होगा। साथ ही अपीलांट को अतिक्रमी होनें के कारण उक्त रकबा से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज की जाकर निर्णय यथावत् रखा जावे। व अतिक्रमी के विरुद्ध कार्यवाही की जावे।

अपीलांट द्वारा यह अपील 05.10.2017 को पेश की गई है। अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद के प्रार्थना पत्र में अपीलांट ने यह कथन किया है कि उसे अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी दिनांक 06.9.2017 को हुई है। जबकि अपीलांट ने दिनांक 08.03.2016 को ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह माना है कि उसके द्वारा नाजायज काश्त की गई है। व उक्त प्रार्थना में निवेदन किया कि वह आईन्दा काश्त नहीं करेगा तथा तावान कायम किये जाने का निवेदन किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैरअपील निर्णय भी दिनांक 08.3.2016 को ही पारित किया गया है। अपील मीमों एवं सभी तथ्यों के विस्तृत अवलोकन, मनन से स्पष्ट है कि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से अनाभिज्ञ नहीं

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner

है तथा अपने मियाद बाबत प्रार्थना पत्र में भी कोई वैशिष्टिक कारण भी जाहिर नहीं किया है । प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र भी किसी सरेन्द्र के नाम से है। जिससे स्पष्ट होता है कि अपीलांट उक्त प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में मिथ्या कथन कर रहा है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता हैं। साथ ही इसी आधार पर अपील अपीलांट भी खारिज की जाती है।

हमनें पत्रावली का गंभीरता से अवलोकन किया, मनन, चिंतन किया। अपील मीमों का भी गहनता से अध्ययन किया। अपील मीमों के बिन्दु संख्या 2, 3, 5, 6 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट को भूमि की स्थिति पता होनें उसके संज्ञान में होते हुए कि भूमि अराजीराज एस्केप के नाम दर्ज है, तो भी अतिक्रमण किया है तथा उक्त भूमि पर उसका विधिक हक–हकूक नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ की मूल पत्रावली संख्या 5/16 के पृष्ठ संख्या 3 के अन्त में पटवारी को तावान वसूली एवं अप्रार्थी संख्या 1 (सुरेन्द्र) को प्रश्नगत भूमि से बेदखल कर कब्जा अधिशाषी अभियंता, सिंचाई विभाग, सूरतगढ़ को दिलाने तथा नीलामी की रिपोर्ट बाबत निर्णय किया गया है। पृष्ठ संख्या 6 में गिरदावर हल्का, रामसरा जाखड़ान को फसल कुर्क कर अपने कब्जे में लेनें हेतु तहसीलदार ने निर्देशित किया है। पृष्ठ संख्या 10 में गिरदावर हल्का द्वारा दिनांक 04.3.2016 को विवादित भूमि पर खडी फसल की कुर्की की गई है। पृष्ठ संख्या 13 पर पटवारी हल्का घमण्ड़िया को उक्त प्रकरण में वसूली करनें, अतिक्रमी को मौके पर भौतिक रूप से बेदखल कर कब्जा अधिशाषी अभियंता, जल संशाधन विभाग, सूरतगढ़ को सौंपकर पालना रिपोर्ट पेश करने बाबत निर्देशित किया गया हैं । इसी पत्रावली के अन्तिम पृष्ठ संख्या 14 में तहसीलदार ने भू–अभिलेख निरीक्षक रामसरा जाखडान को फसल नीलामी की रिपोर्ट पेश करने बाबत निर्देशित किया है।

इस प्रकार पत्रावली के समस्त विवेचन से स्पष्ट है कि उक्त पत्रावली कमांक 5/16 तहसील सूरतगढ़ में तत्कालीन जिम्मेदार पटवारी हल्का नें अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल कर कब्जा अधिशाषी अभियंता, सिंचाई विभाग, सूरतगढ़ को नहीं संभलाया तथा तत्कालीन जिम्मेदार गिरदावर रामसरा जाखडान ने फसल की नीलामी कर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की, जो सीधे–सीधे राजकोष को हानि है व अपने कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही तथा अतिक्रमी से मिलीभगती है।

अतः उक्त तथ्यों के आलोक में तहसीलदार सूरतगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित पटवारी एवं गिरदावर के खिलाफ विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही के प्रस्ताव तैयार कर उच्चाधिकारियों को दो सप्ताह में पेश करे एवं इस न्यायालय को सूचित करे।

निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

16/2/18

(चाँद मल वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner